बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०सं० :–3/अ0प्र0–1–166/2019 544 /पटना, दिनांक :– 12·3·21

श्री अशोक सिंह, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया द्वारा कार्य प्रमंडल, बेतिया के अधीन L0-141 थवईया–सिखईया पथ निर्माण कार्य में भुगतान के विरूद्ध कम कार्य कराने, स्वीकृत प्राक्कलन के विपरीत एवं विशिष्टयों के अनुरूप कार्य नहीं कराने के आरोप में श्री सिंह को विभागीय अधिसूचना संख्या–40–सह–पठित ज्ञापांक 41 अनु0 दिनांक 03.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया एवं श्री सिंह के विरूद्ध मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय संकल्प संख्या–1002 दिनांक 28.05.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. मुख्य अभियंता–2–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–4277 दिनांक 28.08.2020 से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है।

3. श्री सिंह के संदर्भ में प्रश्नगत मामलें की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त कार्यहित में श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलम्बन से मुक्त करने तथा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा इसके उपरान्त किये जाने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

4. अतः उक्त के आलोक में श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति निलंबित को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

5. श्री सिंह के निलंबन अवधि का विनियमन इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12.03.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–1–166/2019 545 /पटना, दिनांक :– 12·3·21

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ(आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/ महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेतिया/उप विकास आयुक्त, बेतिया/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, बेतिया/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया/अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/श्री अशोक सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेतिया सम्प्रति निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.03.21

उप सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in